

कार्यालय नगर निगम, मुजफ्फरपुर

फारम-VIII-क

भवन की परमिट के अनुमोदन का फारम

उपविधि संख्या- 8(4)

आपके आवेदन संख्या

श्रीमति/श्री टेकनी कल्याण विनिमय सेक्टर प्रा. लि. तिथि

के संदर्भ में

(क) वास्तु विहा. मुजफ्फरपुर भवन के निर्माण के लिए 16-01

(ख) भवन के पुर्ननिर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ङ.) भवन के उपयोग में परिवर्तन

दरियापुर स्केन नगर निगम/नगर परिषद/ग्राम पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास आयोजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधीन अधिसूचित

विकास योजना / अयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के प्लॉट नं०. (सी.एस.) 639, 650, 700, 701, 1145, 1154, 633

खाता नं० 16, 50, 56, 63, 102, 126, 127 प्लॉट नं० (एम०एस०पी०) 16, 50, 56, 63, 102, 126, 127 गाँव बाकरपुर वार्ड नं०

के बाबत निम्नलिखित शर्तों/एदत द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से वास्तु विहा. मुजफ्फरपुर फैज-2, एक्स-01 परियोजना के लिए किया जायेगा। और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।

(ग) अनुमोदित योजना दर्शाया गया X वर्ग मीटर का पार्किंग स्थल खुला रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माणवाली भूमि 20 फीट मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से होगी।

(ङ.) प्रसंगत भूमि आवेदित के विधि पूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में आवश्यक हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/बिहार शहरी योजना तथा विकास अधिनियम 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन अच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ ग्राम पंचायत क्षेत्रों अधिनस्त X नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/ अयोजन क्षेत्र में X मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने के तारीख से 3 वर्षों के अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(ज) इस उपबन्ध के अधिन दि गई अनुमति को इस भूखंड जिसके लिए योजना अनुमोदित कि गई हो के अधिकार हक हित की वावत साक्ष्य नहीं मानी जायेगी।

(झ) अयोजना के अनुमोदन के पश्चात भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक हित की वावत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) कोई अन्य शर्त।

मुखिया
मुखिया

ग्राम पंचायत राज, दरियापुर स्केन
प्रसंग- कुदनी, मुजफ्फरपुर